

केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 12795

30 07 2024

विषय: IS 12795 : 2020 (रैखिक एल्किल बेंजीन — विशिष्टि) में संशोधन संख्या 1 का कार्यान्वयन।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 12795 : 2020 में संशोधन संख्या 1 प्रकाशित हो चुकी है । IS 12795 : 2020 में संशोधन संख्या 1 के अनुपालन की अंतिम तिथि **08 अक्टूबर 2024** है । सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 12795 : 2020 में संशोधन संख्या 1 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और **08 अक्टूबर 2024** तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(अमित चौधरी) वैज्ञानिक-डी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2)

सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 12795 30 07 2024

Subject: Implementation of Amendment No. 1 to Indian Standard 12795 : 2020 (Linear Alkyl Benzene—Specification)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 1 to IS 12795 : 2020 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 1 to IS 12795 : 2020 is **08 October 2024**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by **08 October 2024**.

(Amit Choudhary) Scientist D (CMD-2)

Head (CMD - 2)

Circulated to: All licensees/applicants

Copy to: BIS Branch Offices